

पत्रांक-म०भो०/को०-57/2012-2081/
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

By-Email/hand

प्रेषक,

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 12.8.13

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायक से संबंधित अनुदेश।

प्रसंग: PAB 2013-14 द्वारा रसोईया की संख्या का निर्धारण कुल नामांकित छात्र/छात्राओं के 85 प्रतिशत संख्या के आधार पर किये जाने का अनुमोदन प्राप्त है।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायक की संख्या का निर्धारण, उनको कार्य पर रखना तथा हटाया जाना आदि से संबंधित एक समेकित अनुदेश की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। रसोईया-सह-सहायक के संबंध में समेकित दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

1. विद्यालय में रसोईया-सह-सहायक की संख्या :- विद्यालय में रसोईया-सह-सहायक की संख्या का निर्धारण कुल नामांकित छात्र/छात्राओं के 85 प्रतिशत संख्या को आधार मानते हुए निम्नवत निर्धारित किया जाय:-

नामांकित 85 प्रतिशत छात्र/छात्राओं को आधार मानते हुए।	रसोईया-सह-सहायक की संख्या
01-25	1
26-100	2
101-200	3
201-300	4
301-400	5
401-500	6
किन्तु जिन विद्यालयों में कुल नामांकित छात्र/छात्राओं की संख्या 500 से अधिक है वैसे विद्यालयों में प्रत्येक अतिरिक्त 300 छात्र/छात्राओं पर एक अतिरिक्त रसोईया-सह-सहायक को मध्याह्न भोजन तैयार करने हेतु लगाया जाना है।	

2. उपर्युक्त कंडिका-01 में अंकित मानदंड के अनुसार जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार रसोईया-सह-सहायक की मान्य संख्या का निर्धारण करते हुए विद्यालय में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक की संख्या से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि वेब आधारित मासिक MIS में कराना सुनिश्चित करेंगे। ज्ञातव्य है कि इन अतिरिक्त संख्या में रसोईया-सह-सहायकों को हर हाल में दिनांक 20.08.2013 से 30.09.2013 के बीच विद्यालयों में कार्य पर लगाया जाना अनिवार्य है।

3. रसोईया-सह-सहायक की योग्यता :- कोई भी स्वस्थ स्त्री अथवा पुरुष रसोईया-सह-सहायक के रूप में कार्य पर लगाये जाने के लिए योग्य माना जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों का प्रतिपालन करते हैं:-

(i) न्यूनतम उम्र- 18 वर्ष, अधिकतम उम्र-40 वर्ष।

(ii) उसी ग्राम पंचायत के निवासी हो, जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय में रसोईया-सह-सहायक के रूप में कार्य करना चाहते हैं।

(iii) जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच तथा आशा, आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका इत्यादि के रूप में नियोजित विभिन्न योजनाओं में काम करने वाले महिला/पुरुष एवं विद्यालय के शिक्षक/विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सदस्य के परिवार का निकटवर्ती सदस्य रसोईया-सह-सहायक के रूप में नहीं रखे जायेंगे।

(iv) एक परिवार से एक ही रसोईया-सह-सहायक को कार्य पर रखा जा सकता है।

(v) विद्यालय स्तर पर रसोईया-सह-सहायक को विद्यालय शिक्षा समिति/तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा कार्य पर रखा जाना है तथा इसकी सूचना संबंधित प्रखंड साधन सेवी के माध्यम से जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर दिया जाना अनिवार्य है। इस कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक/विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष व सचिव की होगी। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 के दिशानिर्देश के अनुसार समाज के कमजोर तबके यथा महिला (विशेषकर विधवा) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अति पिछड़ा तथा पिछड़ा एवं अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दिया जाना है।

(vi) किसी संक्रमित/आसिध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति को रसोईया-सह-सहायक के रूप में कार्य पर नहीं रखा जाएगा।

4. रसोईया-सह-सहायक का मानदेय :-

(i) रसोईया-सह-सहायक का मासिक मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः भारत सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार इसमें परिवर्तन किये जाते हैं।

(ii) वर्तमान में प्रत्येक रसोईया-सह-सहायक को वर्ष के 10 माह के लिये प्रतिमाह 1,000/-रु० की दर से मानदेय देय है।

(iii) सभी रसोईया-सह-सहायक को नियमित रूप से प्रत्येक माह के 07 वीं तारीख तक RTGS/NEFT/चेक के माध्यम से मानदेय का भुगतान किया जाना है। प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि रसोईया-सह-सहायक को नियमित रूप से प्रत्येक माह मानदेय भुगतान किया गया है।

(iv) चूंकि रसोईया-सह-सहायक को वर्ष के 10 माह के लिये ही मानदेय देय है, मार्च तथा जून माह में रसोईया को कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा क्योंकि इन महीनों में अवकाश की अवधि अधिक होती है। यदि रसोईया द्वारा किसी माह में पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया जाता है तो उन्हें उक्त माह का मानदेय (पारिश्रमिक) देय नहीं होगा।

(v) संसाधन के अभाव में आकस्मिक रूप से यदि किसी माह में मध्याह्न भोजन बंद होता है तो रसोईया-सह-सहायक को भुगतान जारी रखा जायेगा।

(vi) अगर कोई रसोईया-सह-सहायक तीन दिनों से अधिक अनुपस्थित रहती है तो वे प्रधानाध्यापक की अनुमति लेकर अपने बदले अन्य व्यक्ति को कार्य पर नहीं भेजती हैं तो उसके मानदेय/पारिश्रमिक की राशि की कटौती की जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न व्यक्ति 15 दिनों से ज्यादा कार्य पर नहीं रहेगा। विद्यालय शिक्षा समिति/तदर्थ समिति इस परिस्थिति में नये रसोईया-सह-सहायक की खोज कर कार्य पर रखेंगे।

5. गैर सरकारी संस्था तथा विद्यालयों के बीच रसोईया-सह-सहायक का आवंटन :- गैर सरकारी संस्था द्वारा आच्छादित विद्यालयों में मान्य कुल रसोईया-सह-सहायक में से आधा रसोईया-सह-सहायक विद्यालय में कार्यरत रहेंगे तथा शेष रसोईया-सह-सहायक की आधी संख्या गैर सरकारी संस्था को आवंटित माना जाएगा तथा वर्ष के 10 माह के लिए प्रति रसोईया प्रतिमाह 1000/-रु० की दर से आवंटित रसोईया-सह-सहायक की संख्या के आधार पर राशि का भुगतान गैर सरकारी संस्था को किया जाएगा।

(ii) स्वयंसेवी संस्था एवं उससे आच्छादित विद्यालयों में रसोईया-सह-सहायक की संख्या एवं मानदेय भुगतान के संबंध में पत्रांक-1062, दिनांक-06.06.2013 द्वारा दिशा-निर्देश पूर्व में भी दिया जा चुका है।

6. रसोईया-सह-सहायक का उत्तरदायित्व एवं कार्य:-

(i) रसोईया-सह-सहायक का मुख्य कार्य मध्याह्न भोजन योजना के निर्धारित मानदंड के अनुरूप विद्यालय में उपस्थित बच्चों के लिए मीनू के अनुसार मध्याह्न भोजन तैयार करना तथा बच्चों के बीच इसका वितरण करना है। किन्तु मध्याह्न भोजन तैयार करने एवं वितरण करने के दौरान उनके द्वारा स्वच्छता, सुरक्षा एवं गुणवत्ता का निदेशानुसार पालन किया जाना अनिवार्य है।

(ii) एक प्रशिक्षित रसोईया-सह-सहायक के द्वारा ही मध्याह्न भोजन तैयार करने के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी मानदंडों का पालन किया जा सकता है तथापि जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि सभी रसोईया-सह-सहायक के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(iii) रसोईया-सह-सहायक किसी भी स्थिति में रसोई-सह-भंडार गृह के भीतर अथवा बाहर कीटनाशक दवायें नहीं रखेगी। यदि ऐसा कोई संदिग्ध पदार्थ उन्हें दिखता है, तो उसकी सूचना प्रधानाध्यापक अविलम्ब देंगे।

(iv) रसोईया-सह-सहायक से मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के अलावे किसी अन्य प्रकार का कार्य नहीं लिया जायेगा।

(v) जिन विद्यालयों में एन० जी० ओ० के द्वारा मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाता है, उन विद्यालयों में कार्यरत रसोईया भी विद्यालय शिक्षा समिति की रसोईया की भांति कर्तव्य पर उपस्थित रहेगी।

(vi) भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, स्वच्छता, शुद्धता एवं छात्र/छात्राओं के हाथ-मुँह धोने इत्यादि की जबाबदेही के साथ साथ रसोईया-सह-सहायक रसोईधर, बर्तन एवं आस-पास की साफ-सफाई की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी।

(vii) मध्याह्न भोजन बनाने से संबंधित निदेशालय द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. रसोईया-सह-सहायक को कार्यमुक्त करना :-

(i) किसी भी रसोईया-सह-सहायक को उनकी कार्यक्षमता, दक्षता, आयु बाधक्य अथवा गंभीर आरोपों (लापरवाही, अनियमितता आदि) के आधार पर ही कार्यमुक्त किया जाएगा। जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी से कार्यमुक्ति का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही संबंधित रसोईया-सह-सहायक को कार्यमुक्त माना जाएगा। रसोईया-सह-सहायक से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद एवं आरोप के निष्पादन हेतु जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करेंगे तथा इस संबंध में उनका निर्णय मान्य होगा।

(ii) रसोईया-सह-सहायक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् स्वतः कार्य मुक्त माने जाएंगे एवं उनके स्थान पर दूसरे रसोईया-सह-सहायक को कार्य पर रखा जाएगा।

विश्वासभाजन


7/12.8

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,

बिहार, पटना।